



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि० / सा०प्र० / 523 / 2020


दिनांक: 06 अगस्त, 2020

कार्यालय-आदेश

मा० कुलपति जी के संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं, जबकि नियमानुसार कोई भी कार्मिक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो अवकाश पर जायेगा और न ही मुख्यालय से बाहर जायेगा।


अतः आदेशानुसार शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराना है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय से बाहर जायेंगे।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


(उमानाथ)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, आई०ई०टी० को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग के समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
3. कुलानुशासक।
4. मीडिया प्रभारी।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष।
6. परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव।
7. सहायक अभियन्ता/प्रोग्रामर।
8. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक/प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग के समस्त कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
10. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
11. पत्रावली।


(उमानाथ)
कुलसचिव
etc.